# राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

## (1956 का अधिनियम संख्यांक 37) से उद्धरण

*    *    *    *

### विधान परिषदें

**33. मध्य प्रदेश विधान परिषद्**--(1) ऐसी तारीख से जैसी राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, मध्य प्रदेश के नए राज्य के लिए एक विधान परिषद् होगी ।

(2) उक्त परिषद में [1][90] स्थान होंगे जिनमें से--

(क) अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचन मण्डलों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्याएं क्रमशः [2][31, 8 और 8] होंगी;

(ख) उक्त खंड के उपखंड (घ) के उपबंधों के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या [3][31] होगी; तथा

(ग) उस खंड के उपखंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 12 होगी ।

(3) [4][विधान परिषद् अधिनियम, 1957 (1957 का 37) के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा--

(क) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में से हर एक के अधीन परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उक्त नया राज्य विभाजित किया जाएगा;

(ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ; तथा

(ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या,

अवधारित करेगा ।

(4) [5][ऐसे प्रारंभ] के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस धारा के उपबंधों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबंधों के अनुसार उक्त परिषद् गठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

[6]*    *    *    *

*    *    *    *

[1] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा “72” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा “24, 6 और 6” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा “24” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा “इस अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा “नियत दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 6 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।